केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान,
पिलानी (राजस्थान)

संख्या taxi/e-III/2007/पिलानी दिनांक 27-8-07

संस्थान में परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यों हेतु वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं । कृपया निम्निलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए अपनी गाडियॉं किराए पर देने की दरें लिख कर दिनांक 19.9.07 को सायं 3.30 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दें । निविदाएँ दिनांक 19.9.07 को सांय 4.00 बजे खोली जाएंगी ।

1. संस्थान को जब भी वाहनों की आवश्यकता होगी, वाहन (अधिकतम 30 मिनट के अन्दर) उपलब्ध कराना होगा ।

2. निविदादाता इस टेंडर फार्म के साथ संलग्नक तालिका 'I 'व'II'में अपने दरें(प्रति कि.मी.)/किराया राशि लिखें ।

3 यह अनुबन्ध एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा ।जो आवश्यकता पडने पर बढाया जा सकता है । सेवायें ठीक न होने पर सीरी,निदेशक को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

4. अनुबंध के अंतर्गत लंबी दूरी के लिए पिलानी से बाहर जाने वाले वाहनों (For outstation taxi) के मामले में न्यूनतम दूरी के लिए 250 KM प्रतिदिन के किराये का भुगतान देय होगा।

5. वातानुकूलित वाहनों का किराया सामान्य वाहनों के किराये से एक रूपया (1.00) अधिक देय होगा।

6. रात्रिकालीन शुल्क (Night charges) की राशि 100/(एक सौ रूपये मात्र) देय होगा।

7. निविदादाताओं का नामीकायन (empanelment) भी किया जा सकता है।

8. वाहनों के सभी आवश्यक कागज अर्थात बीमा, पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेन्स, प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र,रोड-टैक्स इत्यादि पूर्ण होने चाहिए । कागजों को पूरा करने का दायित्व इस संस्थान का नहीं होगा ।

9. संस्थान को एक से अधिक वाहनों की आवश्यकता पडने पर निविदादाता को वाणिज्यिक वाहनों की व्यवस्था करनी होगी अन्यथा संस्थान द्वारा बाहर से किराये पर लिए गए वाहनों का खर्च निविदादाता को ही वहन करना होगा ।

10. वाहनों में किसी प्रकार की मरम्मत के व्यय का दायित्व संस्थान का नहीं होगा ।

11. सभी वाणिज्यिक वाहन अच्छी स्थिति में होने चाहिए, ड्राइवर दी गई डयूटी के लिए बाध्य होगा अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर उस यात्रा के लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायगा ।

12. वाणिज्यिक वाहनों के किराए के बिलों का भुगतान बिल प्राप्ति के 25 से 30 दिनों के अन्दर चेक(cheque) द्वारा किया जायेगा।

13.. बिल में किलोमीटर का ब्यौरा संस्थान में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार होना अनिवार्य होगा ।

14. केवल मुद्रित बिल ही स्वीकार क्रिये जायेगें। बिल की दो प्रतियां देनी होगी ।

15. पिलानी से बाहर की ड्यूटी करने पर ड्राइवर के ठहरने की व्यवस्था व अन्य किसी प्रकार के व्यय के लिए संस्थान का कोई दायित्व नहीं होगा ।

16. स्वीकृत निविदादाताओं को बतौर बयाना राशि रू 16000/-(सोलह हजार मात्र)डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी. डी.)निदेशक,सीरी पिलानी के नाम से बना कर संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा रद्द कर दी जायेगी ।

17. यात्रा शुरू करने के स्थान पर वाहन निर्धारित समय पर पहुंचना चाहिए । अन्यथा जुर्माने के रूप में रू 200/- की कटौती वाहन के यात्रा बिल से की जा सकती है।

18. संस्थान द्वारा किसी भी वाहन/ टैक्सी के पंजीकरण/बीमा/ जमा किए गए टैक्स आदि की रसीद माँगी जा सकती है ।

19. वाहनों की सीटों के सीट कवर सफेद, धुले तथा प्रेस किए हुए होने चाहिए, तथा वाहन चालक वर्दी में होने चाहिए ।

20. यात्रा मार्ग के दौरान वाहन खराब हो जाने अथवा अन्य आकस्मिक परिस्थिति आने पर वाहन चालक/मालिक को शेष यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी एवं उस पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करना होगा।

21. निविदादाता को यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि वाहनों के Roadtax और परमिट संबधी करों के बारे में सीरी संस्थान की कोई देनदारी नहीं होगी ।

22. सामान्यत. गाडियाँ दिल्ली/जयपुर/जाती हैं, पर इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, चॅडीगढ, हिमाचल, गुजरात, उतराचँल आदि भी जा सकती है जिसके रोड टैक्स इत्यादि करों के बारे में संस्थान की कोई देनदारी नहीं होगी ।

23. टैक्सी (एम्बेसेडर कार) का मॉडल 2004 अथवा इसके बाद का होना चाहिये। निविदादाता को इस संबंध में उपयुक्त दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने आवश्यक है अन्यथा निविदा रद्द कर दी जायेगी ।

24. वाहन में निष्पादन (performance)तथा अनुरक्षण (Maintenance) संबंधी शिकायत मिलने पर वाहन मालिक को तुरंत् दूर करना होगा अन्यथा अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा ।

25. सामान्यत: इस्तेमाल किये जाने वाली गाड़ियों में 90% एम्बेसेडर कार हैं । फर्म के मालिक के पास स्वंय की दो या दो से अधिक टैक्सी वाहन होने चाहिए (वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपी अवश्य लगाएँ, अन्यथा निविदा रद्द कर दी जायेंगी)

26. फर्म सेवा कर अदायगी के लिए संबंधित विभाग से पंजीकृत हो तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करें ।

27. फर्म द्वारा संस्थान को वाणिज्यिक टैक्सी ही प्रदान की जानी चाहिए ।

28. अनुबंध समाप्त करने व जारी रखने का अधिकार निदेशक सीरी पिलानी के पास सुरक्षित रहेगा। सर्शत निविदाएँ (conditional tender) स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

29. अनुबंधित समय के दौरान किराये की निर्धारित दरों में सामान्य परिस्थियों में पुनर्निर्धारण पर विचार नहीं किया जाएगा।

30 आमतौर पर निविदादाता को यात्रा की समाप्ती की तिथी से 07 दिनों के अन्दर टैक्सी बिल प्रस्तुत करना होगा ।

31. निविदादाता को विभिन्न प्रकार के वैधानिक नियमों आयकर, सेवाकर, वाणिज्यिक, श्रम नि आदि प्रावधान का पालन करना होगा । यदि कोई विधान द्वारा संस्थान को इस संबंध में कोई कर अदा करने के लिए सम्मन मिलेगा तो उसकी वसूली निविदादाता के बिलों/धरोहर राशि से की जाएगी व शेष राशि का भुगतान करने के लिए निविदादाता कानूनी तौर पर बाध्य होगा ।

32. उपरोक्त में से किसी भी शर्त में छूट देने का अधिकार निदेशक सीरी के पास सुरक्षित रहेगा।

33. निदेशक,सीरी,पिलानी,को किसी/सभी निविदाओं को अस्वीकार करने तथा किसी निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है । साथ ही उन्हें बिना कोई कारण बताए न्यून्तम निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार है ।

प्रशासनिक अधिकारी

Annexure I

CENTRAL ELECTRONICS ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE
Pilani (Rajasthan)
(Council of Scientific and Industrial Research)

Rates for Per Day Hire of Taxi at CEERI Pilani

Sl. No	Type of Vehicle	Charges (in Rs.) for 04 hours / 40 Km (I)	Charges (in Rs.) For 08 hours / 80 Km (I A)	Local* Running Charges in Rs. *(per hours)* after 04 hours and 08 hours (I B)	Local* Running Charges in Rs. *(per Km)* after 04 hours / 08 hours (I C)
1.	1st - category Ambassador / Indica / Indigo				
2.	2nd - category Scorpio / Qualis / Tavera / Innova				

* Local means: Places which are located nearby Plani, such as Loharu, Jhunjhunu, Chidawa, Sikar, Rajgadh, Hisar, Bhiwani etc

Place: **Name of the Firm:**

Date: **Signature:**

Address:

Phone No:

Mobile No:

Annexure II

CENTRAL ELECTRONICS ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE
Pilani (Rajasthan)
(Council of Scientific and Industrial Research)

Rates for Per Day Hire of Taxi at CEERI Pilani

Sl.No	Type of Vehicle	Outstation Charges @ .... Rs./ K.m
1.	1st category Ambassador / Indica / Indigo	
2.	2nd Category Scorpio / Qualis / Tavera / Innova	

Place :

Dtae :

Name of the Firm :

Signature :

Address:

Phone No:

Mobile No: